न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट दोहली)

पीठासीन अधिकारी : श्री बाल कृष्ण तिवाड़ी आरएएस

निर्णय दिनांक : 19.06.2018

मुकदमा नं0 3/25/18

उनवान

1. हनुमान पुत्र हरचन्द
2. सेवाराम पुत्र हरचन्द
3. शेरसिंह पुत्र हरचन्द
4. प्रवीण कुमार पुत्र हरचन्द
5. मेवा स्त्री हरचन्द जाति यादव निवासी ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 61, 62, 63, 64, 106, 121/1499, 123 / 1498 कुल किता 7 रकबा 2.02 हैक्ट0 वाके ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का प्रार्थीगण कब्जे काश्त खातेदार है। जिस आराजी पर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। और आज भी मौके पर काबिज है। उक्त आराजी की पैमाईश पूर्व में दिनांक 12.06.2017 को की जा चुकी है। परन्तु उस समय पत्थरगढी नही हुई थी। जिस पैमाईश व निशानदेही को पडौसी काश्तकार नही मानते है और परेशान करते है। अतिक्रमण कर दबाना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 61 रकबा 0.10, 62 रकबा 0.01, 63 रकबा 0.54, 64 रकबा 0.85, 106 रकबा 0.08, 121/1499 रकबा 0.18, 123 / 1498 रकबा 0.26 कुल किता 7 रकबा 2.02 हैक्ट0 वाके ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर की पैमाईश कर पत्थरगढी वो निशान देही सही माप से प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी कराने की कृपा करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर /कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 19.06.2018 को पेश हुई। मौका पर्चा दिनांक 12.06.2017 द्वारा की गई पैमाईश का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम डोली के आराजी खसरा नम्बर 61 रकबा 0.10, 62 रकबा 0.01, 63 रकबा 0.54, 64 रकबा 0.85, 106 रकबा 0.08, 121/1499 रकबा 0.18, 123 / 1498 रकबा 0.26 कुल किता 7 रकबा 2.02 हैक्ट0 की पैमाईश बाबत मौके पर पहुचा। आराजी खसरा नम्बर 132 की

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

सीमा को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए उपरोक्त खसरा नम्बरान की निशान देही आवेदको के रूबरू जरीब चलाकर की गई। दोनों पक्षों को की उपस्थिति में पैमाईश की गई जिससे दोनों पक्षों को निशानदेही से अवगत कराया तथा उपस्थिगणों के हस्ताक्षर कराये गये।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत दोहली में दिनांक 19.06.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से प्रार्थीगण की आराजी की पैमाईश दिनांक 12.06.2017 को की जा चुकी है। अतः प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात आधार पर प्रार्थना पत्र 128 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी 61 रकबा 0.10, 62 रकबा 0.01, 63 रकबा 0.54, 64 रकबा 0.85, 106 रकबा 0.08, 121/1499 रकबा 0.18, 123 / 1498 रकबा 0.26 कुल किता 7 रकबा 2.02 हैक्ट0 वाके ग्राम डोली तहसील रामगढ जिला अलवर की पत्थरगढी नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत दोहली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)